

## समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत



प्रत्येक विद्यार्थी की उत्कृष्ट क्षमताओं को पहचानने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों और अभिभावकों को संवेदनशील बनाया जाएगा



शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय मानते हुए सभी पाठ्यक्रम, शिक्षण-शास्त्र और नीतियों में विविधता व स्थानीय संदर्भ के लिए सम्मान



सभी शैक्षणिक निर्णयों में पूर्ण समानता और समावेश पर फोकस ताकि शिक्षा प्रणाली में सभी छात्रों का विकास सुनिश्चित हो

# अल्पसंख्यक और एसईडीजी से संबंधित बच्चों को शिक्षा के समान अवसर



शिक्षा को अनुसूचित जातियों के बच्चों तक पहुँचाना, उनकी भागीदारी बढ़ाना और सीखने के अंतराल को कम करना और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) पर विशेष ध्यान केंद्रित करना



आदिवासी समुदायों के बच्चों को लाभान्वित करने के लिए विशेष तंत्र की शुरुआत की जाएगी



शैक्षिक रूप से अविकसित समुदायों से संबंधित बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा



दिव्यांग बच्चों को भी अन्य बच्चों की तरह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करने हेतु सक्षम तंत्र बनाया जाएगा

## विशेष शिक्षा क्षेत्र: समावेशी शिक्षा के लिए समग्र दृष्टिकोण



सामाजिक व आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग (एसईडीजी)\* के अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में विशेष शिक्षा केंद्रों का निर्माण किया जाएगा



बच्चों के शैक्षिक परिदृश्य को बदलने हेतु शिक्षा क्षेत्र की सभी योजनाओं व नीतियों का पूर्ण इस्तेमाल किया जाएगा



एसईडीजी से संबंधित बच्चों और विशेष रूप से छात्राओं के शिक्षा के प्रति विषमता समाप्त करने हेतु लक्षित नीतियां और योजनाएं तैयार की जाएगी

\* सोशियो-इकोनोमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स

# एसईडीजी व अल्पसंख्यक बच्चों के लिए अधिक निधि व विकसित बुनियादी ढांचा

(1/2)



छात्राओं तथा ट्रांसजेंडर बच्चों की शिक्षा हेतु जेंडर इन्क्लूजन निधि फंड का प्रावधान किया जाएगा



सामाजिक व आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग (एसईडीजी) के बच्चों की समस्याओं के समाधान हेतु समावेशन निधि योजनाओं को विकसित किया जाएगा



स्कूलों में, विशेष रूप से एसईडीजी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, निशुल्क बोर्डिंग सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा



कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण और गुणवत्तापूर्ण स्कूलों में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी (12वीं कक्षा तक)

# एसईडीजी व अल्पसंख्यक बच्चों के लिए अधिक निधि व विकसित बुनियादी ढांचा

(2/2)



आकांक्षी जिलों, एसईडीजी व अन्य वंचित क्षेत्रों में अधिक जेएनवी और केवी का निर्माण किया जाएगा



उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने हेतु एसईडीजी वर्ग के मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी



नीतियों और योजनाओं जैसे लक्षित छात्रवृत्ति, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए माता-पिता को प्रोत्साहित करने के लिए सशर्त नकद हस्तांतरण, आदि को मजबूत किया जाएगा



एसईडीजी से संबंधित बच्चों को छात्रवृत्ति व अन्य अवसरों और योजनाओं के लिए एकल खिड़की प्रणाली अपनाई जाएगी

# आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के प्रावधान: बाधा मुक्त शिक्षा सुनिश्चित



सभी दिव्यांग बच्चों के लिए बाधा मुक्त शिक्षा सुनिश्चित



सहायक उपकरण, उपयुक्त प्रौद्योगिकी-आधारित उपकरण के साथ-साथ पर्याप्त व उपयुक्त भाषा में पठन-पाठन सामग्री



दिव्यांग बच्चे नियमित या विशेष स्कूली शिक्षा और गृह-आधारित शिक्षा के विकल्प का चयन कर सकते हैं

- घर-आधारित शिक्षा के लिए ऑडिट की शुरुआत की जाएगी और इसके लिए मानक व दिशानिर्देश विकसित किए जाएंगे



गंभीर या एक से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के पुनर्वास और शिक्षा से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन केंद्र और विशेष शिक्षक द्वारा मदद दी जाएगी

# बेहतर शिक्षण परिणामों के लिए शिक्षक शिक्षा का उन्नयन



बी.एड कार्यक्रमों में शिक्षण-शास्त्र में अत्याधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें बुनियादी साक्षरता और संख्या-ज्ञान, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना आदि शामिल है



बी.एड. के बाद अल्प-अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स बहुविषयक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में उपलब्ध कराया जाए



सेवारत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने का कौशल, लिंग और अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदना का ज्ञान शामिल होगा



वैकल्पिक स्कूल के शिक्षकों का क्षमता निर्माण, जिसमें विज्ञान, गणित आदि विषयों समेत नई शैक्षणिक पद्धतियों का ओरिएंटेशन भी शामिल है

## वैकल्पिक स्कूलों का विकास, पारंपरिक शिक्षाशास्त्र का संरक्षण



NCFSE द्वारा निर्धारित विषय और शिक्षण क्षेत्रों को उनके पाठ्यक्रम में एकीकृत किया जाएगा



उच्चतर शिक्षा में बच्चों के नामांकन को बढ़ाया जाएगा, कम प्रतिनिधित्व की समस्या खत्म की जाएगी



पाठ्यक्रम में विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, अंग्रेजी, राज्य भाषाओं या अन्य प्रासंगिक विषयों को समावेश करने के लिए वित्तीय सहायता



## पुस्तकालयों का सुदृढीकरण, हितधारकों में जागरूकता



पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि जैसी पर्याप्त पठन सामग्री, और अन्य -शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी



उच्च-गुणवत्ता वाले मॉड्यूल से भारतीय साइन लैंग्वेज सिखाया जाएगा और भारतीय साइन लैंग्वेज के इस्तेमाल से अन्य बुनियादी विषयों का विकास



स्कूल शिक्षा प्रणाली में सभी हितधारकों, जिसमें शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रशासक, परामर्शदाता और छात्र शामिल हैं, को ज्यादा संवेदनशील बनाया जाएगा



सीखने की सामग्री के प्रसार के साथ-साथ माता-पिता के उन्मुखीकरण के लिए टेक-आधारित समाधान

# स्कूल परिसरों के माध्यम से संसाधनों का सदुपयोग और प्रभावी शासन



स्कूल परिसरों में संसाधनों के साझे उपयोग से दिव्यांग बच्चों और SEDG वर्ग के बच्चों को सहयोग व मदद में सुधार



स्कूलों / स्कूल परिसरों को दिव्यांग बच्चों के समेकन, विशेष शिक्षकों की भर्ती और संसाधन केंद्रों की स्थापना के लिए संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा



दिव्यांग बच्चों को स्कूल परिसरों में आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी और इसके लिए एक तंत्र विकसित किया जाएगा